न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

...न अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 23/ 2021

सरकार बनाम दयानन्द, सत्यवीर पुत्र भींवाराम, धर्मवीर पुत्र जयलाल जाति– जाट, निवासी– इस्माईलपुर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 09..07.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान दयानन्द,सत्यवीर पुत्र भींवाराम,धर्मवीर पुत्र जयलाल जाति–जाट, निवासी–इस्माईलपुर द्वारा रोही मोजा इस्माईलपुर कि राजकीय भूमि ख.नं. 130 के कुल रकबा 17.55 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.06 है0 भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें गै.मु.जोहड़ की भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण नहीं है अतिक्रमण हटा कर भूमि को खाली कर दिया गया है। गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में जांच भू.अ.नि. स्वामी सेही से करवाई गई। मुताबिक जांच भू.अ.नि. स्वामी सेही, गैर सायलान द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उक्त गै.मु. जोहड़ की भूमि में गैर सायलान का अतिक्रमण पाया गया। रिर्पोट भू.अ.नि. स्वामी सेही से अतिक्रमण की पुष्टी होती है। अतः गैर सायलान का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नादी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है।एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है।अतः रिपोर्ट हल्का पटवारी को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाता है। एवं अतिचारी के विरूद्ध बेदखली आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 18रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी /गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं.......09....... पर वर्ष 2021-22....में रुपये...18/-.... कायम कि

राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़